

छात्रवृत्तियाँ

(इनकी नवीनतम सूचना कार्यालय से अथवा वेबसाईट www.sje.rajasthan.gov.in प्राप्त करें।

समाज कल्याण विभाग व आयुक्त कॉलेज शिक्षा द्वारा विभिन्न छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं उनका विवरण यहां दिया गया है।

समाज कल्याण विभाग द्वारा देय छात्रवृत्तियां

(अ) समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति और अनु. जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के छात्र जिनकी वार्षिक आय 1.50 लाख रुपये तक हो, जैसे – बी.पी.एल. कार्डधारक की पुत्री, पुत्र/अन्त्योदय कार्डधारक की पुत्री, पुत्र/स्टेट बी.पी.एल. कार्डधारक की पुत्री, पुत्र/ अनाथ बालिका, बालक, विधवा स्वयं, विधवा की पुत्री, पुत्र/ तलाकशुदा महिला स्वयं, तलाकशुदा महिला की पुत्री, पुत्र/ विशेष योग्यजन स्वयं, विशेष योग्यजन की पुत्री, पुत्र के लिये ऑनलाईन उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति एवं डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC) उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 1.00 लाख रुपये तक की वार्षिक आय की सीमा में आने वाले विद्यार्थी पात्र होंगे

1. पात्रता

क. केवल वे ही छात्र, जो राजस्थान के अनु. जाति/अनु. जनजाति से संबंधित हों।

ख. शिक्षा का एक चरण उत्तीर्ण करने के पश्चात् शिक्षा के उसी चरण में किसी दूसरे विषय/संकाय में अध्ययन करने लगे, जैसे बी.ए. के बाद बी.कॉम करने लगे या एम.ए करने के बाद किसी अन्य विषय में एम.ए. करने लगे, इसके पात्र नहीं होंगे

ग. नियोजित छात्र, जिन्होंने पाठ्यक्रम की सम्पूर्ण अवधि की अवैतनिक छुट्टी ली हो तथा वह पूर्णकालिक छात्र के रूप में अध्ययन कर रहें हो, छात्रवृत्ति पाने के पात्र होंगे।

घ. एक ही माता-पिता /अभिभावक के सभी बच्चे छात्रवृत्ति पाने के हकदार होंगे।

ङ. कोई अन्य छात्रवृत्ति के लिए आवेदन नहीं किया हों।

च. अंशकालिक पाठ्यक्रमों के लिये देय नहीं होगी।

2. राशि

अनु. जाति एवं अनु जनजाति के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति की राशि के लिये निम्न समूह निर्धारित किए गए हैं जो इस प्रकार हैं—

क्र.स.	समूह	छात्रावास	अछात्रावास
1.	स्नातकोत्तर (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य)	820	530
2.	स्नातक (द्वितीय एवं तृतीय वर्ष)	570	300
3.	स्नातक प्रथम वर्ष	350	230

अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के विद्यार्थी जो उपरोक्त श्रेणी में पात्रता हो, छात्रवृत्ति की राशि के लिये निम्न समूह निर्धारित किए गए हैं जो इस प्रकार हैं—

क्र.स.	समूह	छात्रावास	अछात्रावास
1.	स्नातकोत्तर (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य)	290	190
2.	स्नातक (द्वितीय एवं तृतीय वर्ष)	230	120
3.	स्नातक प्रथम वर्ष	150	90

3. आय

(क) अनु. जाति एवं अनु जनजाति के विद्यार्थियों के माता – पिता की वार्षिक आय 2,50,000/- तक एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के विद्यार्थी जो उपरोक्त श्रेणी में पात्रता रखते हो के माता पिता की वार्षिक आय 1,50,000/- रुपये तक होने पर छात्रवृत्ति का भुगतान पूरी दर से किया जाएगा

(ख) विद्यार्थी के पिता की आय का आय प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप) ऑनलाईन लगाने पर ही छात्रवृत्ति पर विचार किया जायेगा।

4. फीस

छात्र द्वारा संस्था/विश्वविद्यालय को दी जाने वाली फीस का भुगतान किया जाएगा किन्तु इसमें कॉशनमनी सम्मिलित नहीं होगी।

5. नवीनीकरण

अगली कक्षा में प्रवेश लेने पर पाठ्यक्रम की समाप्ति तक दी जायेगी। इसके लिए छात्रों को अच्छा आचरण व उपस्थिति में नियमितता आवश्यक है।

6. भुगतान

छात्र का चयन निर्देशों एवं शर्तों के आधार पर किया जायेगा। छात्रवृत्ति का भुगतान अप्रैल या नामांकन के माह से (20 तारीख बाद करने पर अगले माह से) जो भी बाद में हो, से परीक्षा पूरी होने तक प्रतिमाह किया जायेगा।

ऑनलाईन छात्रवृत्ति की राशि छात्र के बैंक खातों में जमा होगी। अतः प्रत्येक विद्यार्थी को अपना खाता संख्या, बैंक का नाम व शाखा की पूर्ण सूचना भामाशाह कार्ड में अपडेट करवाना अनिवार्य है।

नोट :- विद्यार्थी का आचरण असंतोषजनक होने पर या झूठी घोषणा पर अथवा गलत भुगतान किए जाने पर प्राचार्य द्वारा छात्रवृत्ति निरस्त की जा सकती है।

7. आवेदन

विद्यार्थियों को (www.sje.rajasthan.gov.in) वेबसाइट पर ऑन लाईन आवेदन करना होगा जिसमें निम्न दस्तावेज आवश्यक है –

1. विद्यार्थी के परिवार का भामाशाह कार्ड
2. विद्यार्थी का आधार कार्ड
3. उत्तीर्ण परीक्षा की अंक तालिका
4. जाति प्रमाण – पत्र (तहसीलदार स्तर से नीचे न हों)
5. आय घोषणा पत्र (निर्धारित प्रारूप में)
6. राजस्थान राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र
7. 10वीं की अंक तालिका
8. महाविद्यालय की प्रवेश एवं परीक्षा शुल्क की रसीद
8. पिता जीवित होने की स्थिति में पिता द्वारा, पिता की मृत्यु होने की स्थिति में माता द्वारा, माता-पिता दोनों की मृत्यु होने की स्थिति में संरक्षक द्वारा, माता-पिता एवं संरक्षक तीनों ही नहीं होने की स्थिति में स्वयं द्वारा, विवाहित महिला होने की स्थिति में पति द्वारा आय की घोषणा की जायेगी।

नोट :- विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त छात्रवृत्ति ऑनलाइन होने के कारण विद्यार्थियों को भामाशाह कार्ड में सम्पूर्ण जानकारी अपडेट करवानी होगी, और उक्त पोर्टल पर विद्यार्थी को मूल दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करने होंगे। किसी भी दस्तावेज की स्कैन फोटो प्रति स्वीकार्य नहीं होगी। आवेदन करने से पूर्व उपरोक्त वेबसाइट पर दिये गये दिशा निर्देशों एवं शर्तों को ध्यान पूर्वक अध्ययन करके ही आवेदन करें।

9. अनुसूचित जाति और अनु. जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के छात्र जो उपरोक्त श्रेणी में पात्रता रखते हो के विकलांग छात्रों के लिये अतिरिक्त प्रावधान

(क) दृष्टिहीन छात्रों के लिये पाठक भत्ता – पाठ्यक्रम का स्तर पाठक भत्ता।

समूह		(रूपये प्रतिमाह)
क, ख, ग	—	240 /—
घ	—	200 /—
ङ	—	160 /—

(ख) विकलांग छात्रों के लिये प्रतिमाह 100/- रुपये परिवहन भत्ते का प्रावधान यदि वह छात्र संस्था के परिसर में स्थित होस्टल में नहीं रहता हों।

10. विकलांगों के लिये छात्रवृत्ति

अंधे, बहरे अथवा शारीरिक विकलांग (ऑर्थोपिडिकली हैन्डीकेप्ड) छात्रों को विकलांग छात्रवृत्ति समाज कल्याण विभाग द्वारा स्वीकृत की जाती है।

आवश्यक नोट

1. विद्यार्थी का आचरण असंतोषनक होने पर या झूठी घोषणा पर अथवा गलत भुगतान किए जाने पर प्राचार्य द्वारा छात्रवृत्ति निरस्त की जा सकती है।
2. अपूर्ण आवेदन पत्रों एवं निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. माता-पिता/पति के जीवित होने की स्थिति में कोई अन्य अभिभावक या संरक्षक नहीं हो सकता है।
11. मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना हेतु आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर की वेबसाईट www.hte.rajasthan.gov.in पर Online Scholarship में प्राप्त निर्देशों एवं शर्तों के अनुसार ऑन लाईन आवेदन कर सकते हैं।
12. मेधावी छात्रा स्कूटी योजना एवं देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना हेतु आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर की वेबसाईट www.hte.rajasthan.gov.in पर Online Scholarship में प्राप्त निर्देशों एवं शर्तों के अनुसार ऑन लाईन आवेदन कर सकते हैं।

निदेशालय, कॉलेज शिक्षा द्वारा प्रदत्त अन्य छात्रवृत्तियां

1. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति
2. आवश्यक एवं योग्यता छात्रवृत्ति
3. अध्यापकों के बच्चों को छात्रवृत्ति
4. महिला योग्यता छात्रवृत्ति
5. राजनैतिक पीड़ितों/स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को देय छात्रवृत्ति
6. मृत राज्य कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति
7. उर्दू छात्रवृत्ति
8. भारत पाक व चीन युद्ध में मृत अथवा अपंग सैनिकों के बच्चों को एवं विधवाओं को देय छात्रवृत्ति
9. ललित कला छात्रवृत्ति (संगीत संस्थान जयपुर)
10. ललित कला छात्रवृत्ति (राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स)
11. राजस्थान के पूर्व सैनिकों की प्रतिभावना पुत्रियों को देय छात्रवृत्ति
12. कारगिल कार्यवाही में शहीद सैनिकों के आश्रितों को देय छात्रवृत्ति
13. मिलिट्री देहरादन (भारतीय सैन्य महाविद्यालय, देहरादून) छात्रवृत्ति

नोट :-1. निदेशालय कॉलेज शिक्षा द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्तियों के आवेदन पत्र निदेशालय फीस भेजकर प्राप्त किये जा सकते हैं। छात्र, नूतन (फ्रेश) अथवा नवीनीकरण (रिन्यूवल) छात्रवृत्तियों के लिये निर्धारित आवेदन पत्र शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश पाते ही शिक्षण संस्था के प्राचार्य को प्रस्तुत करेंगे। आवेदन पत्र सब प्रकार से पूर्ण होना चाहिये और स्पष्ट एवं शुद्ध लेखों में होना चाहिए।

2. जिन छात्रों ने सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा पास की है अथवा जिन्होंने इस स्तर का कोर्स पूरा किया है, जैसे इण्डरमीडियेट आदि तथा आगे अध्ययन हेतु बी.ए./बी.एस.सी./ बीकॉम में प्रवेश लेते हैं उन्हें नूतन आवेदन- पत्र भरने होंगे तथा जिन छात्रों ने इस महाविद्यालय से या अन्य किसी महाविद्यालय से गत वर्ष छात्रवृत्ति प्राप्त की है उन्हें नवीनीकरण के फार्म भरने होंगे

